प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः **08.10.2025**

नगर निकाय के वार्ड गठन/परिसीमन का प्रारूप प्रकाशित

- राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा द्वितीय चरण में नवगठित जम्होर नगर पंचायत (जिला औरंगाबाद) एवं मधुबन नगर पंचायत (जिला पूर्वी चंपारण) के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के गठन की प्रक्रिया परिसीमन के उपरांत दिनांक 18.09.2025 को प्रारूप प्रकाशन के साथ प्रारम्भ की गई थी। इस संबंध में वार्ड गठन/परिसीमन के दावा/आपत्ति की अंतिम तिथि दिनांक 04.10.2025 निर्धारित थी। जिसमे कुल 04 दावा/आपत्ति प्राप्त हुआ। प्राप्त दावा/आपत्ति के निष्पादन हेतु अंतिम तिथि 10.10.2025 है।

नवगठित जम्होर नगर पंचायत (जिला औरंगाबाद) एवं मधुबन नगर पंचायत (जिला पूर्वी चंपारण) के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के गठन की कार्यक्रम विवरणी :

- प्रारूप प्रकाशन के दौरान प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन : 19.09.2025 से 10.10.2025 तक
- आपत्तियों के निष्पादन के उपरांत प्रोविजनल नक्शा एवं चौहद्दी सहित वार्ड का प्रकाशन एवं सीमित आपत्ति की प्राप्ति : 11.10.2025 से 14.10.2025 तक
- वार्ड की सूची तैयार कर उसपर प्रमंडलीय आयुक्त के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्राप्त सिमित आपत्ति के साथ प्रोविजनल नक्शा का प्रेषण एवं प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा सुनवाई के उपरांत अंतिम अनुमोदन : 15.10.2025 से 21.10.2025 तक
- अंतिम रूप से गठित वार्डों का जिला गजट में प्रकाशन : 31.10.2025

- तृतीय चरण में नवगठित नगर पंचायत मदनपुर (जिला औरंगाबाद) एवं उत्क्रमित नगर परिषद् सोनपुर (जिला सारण) के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का परिसीमन एवं गठन की प्रक्रिया दिनांक 03.10.2025 से प्रारम्भ की गई है, जिसके गठित वार्डों का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 21.10.2025 को निर्धारित है।

नवगठित नगर पंचायत मदनपुर (जिला औरंगाबाद) एवं उत्क्रमित नगर परिषद् सोनपुर (जिला सारण) के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का परिसीमन एवं गठन की कार्यक्रम विवरणी:

- वार्डों का परिसीमन एवं गठन : 03.10.2025 से 20.10.2025 तक
- गठित वार्डों का प्रारूप प्रकाशन : 21.10.2025

- दावा-आपत्तियों की प्राप्ति की अवधि : 21.10.2025 से 15.11.2025 तक
- प्रारूप प्रकाशन के दौरान प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन : 24.10.2025 से 22.11.2025 तक
- आपत्तियों के निष्पादन के उपरांत प्रोविजनल नक्शा एवं चौहद्दी सहित वार्ड का प्रकाशन एवं सीमित आपत्ति की प्राप्ति : 24.11.2025 से 01.12.2025 तक
- वार्डों की सूची तैयार कर उसपर प्रमंडलीय आयुक्त के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्राप्त सिमित आपत्ति के साथ प्रोविजनल नक्शा का प्रेषण एवं प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा सुनवाई के उपरांत अंतिम अनुमोदन : 03.12.2025 से 10.12.2025 तक
- अंतिम रूप से गठित वार्डों का जिला गजट में प्रकाशन : 17.12.2025 तक

दावा, आपत्ति या सुझाव हेतु आवेदन की प्रक्रिया :

- ऑफलाइन : नागरिक अपने दावा/आपत्ति/सुझाव से संबंधित प्रपत्र/आवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय या प्राधिकृत पदाधिकारी-सह- अनुमंडल पदाधिकारी (नगर पंचायत/नगर परिषद्) के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

- ऑनलाइन : आयोग की वेबसाइट www.sec.bihar.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। सफल पंजीकरण पर आवेदनकर्ता को यूनिक आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

➢ राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार संबंधित नगर पंचायत के सभी नागरिकों से अपील करता है कि वे वार्ड गठन की इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें तथा अपने दावा, आपत्ति या सुझाव समय पर प्रस्तुत करें। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति मतदाता/अभ्यर्थी आयोग में संचालित कॉल सेंटर कोषांग के टोल फ्री नंबर 1800-3457-243 पर कॉल करके निर्वाचन संबंधी सूचना, सुझाव या शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार